Total Pages-52

CODE NO.
Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर "**उत्तर के माध्यम**" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न मे अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो, तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

****

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of **"Medium of Answer"** on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

****

FOR EVALUATOR'S USE ONLY

EVALUATION TABLE

Q.NO.	MARKS	Q.NO.	MARKS
1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	
10		21	
11			

Examiner's Remarks (if any)

GRAND TOTAL: IN FIGURES ....

IN WORDS ....

SIGNATURE OF EXAMINERS

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No. 1 **[03 Marks]**

What is meant by "Decree"?

प्रश्न संख्या 1

''डिक्री'' से क्या अभिप्रेत है?

Question No. 2 **[03 Marks]**

When can compensatory costs be imposed by the court under section 35 A of the Code of Civil Procedure, 1908? Can such costs also be imposed in an appeal? Explain.

प्रश्न संख्या 2

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35क के अंतर्गत न्यायालय कब प्रतिकरात्मक खर्चा अधिरोपित कर सकता है? क्या एक अपील में भी ऐसा खर्चा अधिरोपित किया जा सकता है? व्याख्या कीजिए।

Question No. 3 **[03 Marks]**

Who can institute a suit in case of a public nuisance or other wrongful act affecting or likely to affect the public?

प्रश्न संख्या 3

लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ना सम्भव है, की दशा में कौन वाद संस्थित कर सकता है?

Question No. 4 **[03 Marks]**

What do you understand by doctrine of "frustration of contract"?

प्रश्न संख्या 4

"संविदा के नैराश्य" के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं?

Question No. 5 **[03 Marks]**

What is the period of limitation to set aside a transfer of property made by the guardian of a ward by the ward's legal representative, when a ward dies within three years from the date of attaining majority and what is the time from which the period begins to run?

प्रश्न संख्या 5

प्रतिपाल्य के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिपाल्य के संरक्षक द्वारा किए गये सम्पत्ति के अंतरण को अपास्त करने के लिए परिसीमा काल क्या है, जबकि प्रतिपाल्य प्राप्तव्य होने के तीन वर्ष के भीतर मर जाता है और वह समय क्या है, जबसे काल चलना प्रारम्भ होता है?

Question No. 6 **[03 Marks]**

What is "Golden Rule" of Interpretation?

प्रश्न संख्या 6

निर्वचन का ''स्वर्णिम नियम'' क्या है?

Question No. 7

[03 Marks]

In the Code of Civil Procedure, 1908, what is meant by 'Legal Representative'? What is the extent of liability of a legal representative, where a decree is executed against him as legal representative of a judgement debtor?

प्रश्न संख्या 7

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में 'विधिक प्रतिनिधि' से क्या आशय है? एक विधिक प्रतिनिधि के दायित्व का विस्तार क्या है, जहां उसके विरुद्ध एक डिक्री निर्णित ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में निष्पादित की जाती है?

Question No. 8 [03 Marks]

'X', 'Y', 'Z' jointly take a loan of Rs. 21000/- from 'A'. 'Z' becomes insolvent and 'Y' is compelled to pay the entire amount. What amount can 'Y' successfully claim from 'X'? Explain with the help of relevant provisions.

प्रश्न संख्या 8

'अ' से रु 21000/– का ऋण 'क', 'ख', 'ग' संयुक्त रूप से लेते हैं। 'ग' दिवालिया हो जाता है और सम्पूर्ण राशि के भुगतान हेतु 'ख' को बाध्य किया गया। 'ख', 'क' से कितनी राशि की मांग सफलतापूर्वक कर सकता है? सुसंगत प्रावधानों की मदद से स्पष्ट कीजिए।

Question No. 9 **[04 Marks]**

Write a short note on suit by person dispossessed of immovable property under the Specific Relief Act, 1963.

प्रश्न संख्या 9

विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थावर सम्पत्ति से बेकब्जा किए गये व्यक्ति द्वारा वाद पर लघु लेख लिखिए।

Question No. 10 **[04 Marks]**

Write a short note on 'Limited Period Tenancy' under the Rajasthan Rent Control Act, 2001.

प्रश्न संख्या 10

राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत 'सीमित कलावधि की किराएदारी' पर लघु लेख लिखिए।

Question No. 11 **[04 Marks]**

Briefly discuss the scope of High Court's power of revision under the Code of Civil Procedure, 1908 ('the code'). What are the limitations imposed on the exercise of revisional jurisdiction under the code?

प्रश्न संख्या 11

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('संहिता'), के अंतर्गत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियों के विस्तार का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर संहिता के अंतर्गत क्या सीमाऐं अधिरोपित की गई हैं?

[04 Marks]

Question No. 12

"Pardoning power of the President of India is not immune from Judicial Review". Examine with the help of case law.

प्रश्न संख्या 12

''भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन से निरापद नहीं है''। निर्णित विधि की मदद से परीक्षित कीजिए।

Question No. 13

[04 Marks]

What is the requirement of law to prove a registered will? How a will is to be proved when attesting witness could not be found? Explain with reference to relevant provisions.

प्रश्न संख्या 13

एक पंजीकृत वसीयत को साबित करने के लिए विधि की क्या अपेक्षा है? जब अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके तब एक वसीयत को किस प्रकार साबित करना होगा? सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ से स्पष्ट कीजिए।

Question No. 14 **[06 Marks]**

What is meant by expression "the State" for the purpose of Part III (Fundamental Rights) of the Constitution of India? Explain with relevant case law.

प्रश्न संख्या 14

भारत के संविधान के भाग–3 (मूलभूत अधिकार) के प्रयोजन हेतु अभिव्यक्ति 'राज्य' से क्या आशय है? सुसंगत निर्णित विधि सहित स्पष्ट कीजिए।

[06 Marks]

Question No. 15

The doctrine of part performance can be used as 'Shield but not as a swor

Explain the relevance of the above statement with the help of relevant provisions and case law.

प्रश्न संख्या 15

भागिक पालन के सिद्धान्त का उपयोग 'ढाल के रूप में किया जा सकता है ना कि तलवार के रूप में'।

सुसंगत प्रावधान व निर्णित विधि की सहायता से उपरोक्त कथन की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए।

Question No. 16 [06 Marks]

What considerations should be kept in mind by the court while dealing with an application seeking condonation of delay under section 5 of The Limitation Act, 1963? Should there be any difference in approach when the application for condonation is filed by the State? Cite relevant case law.

प्रश्न संख्या 16

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत देरी को क्षमा करने की प्रार्थना के आवेदन को तय करते समय न्यायालय को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? यदि राज्य द्वारा क्षमा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तों क्या वहां दृष्टीकोण में कोई भिन्नता होनी चाहिए? सुसंगत निर्णित विधि को उद्धरित कीजिए।

Question No. 17 **[06 Marks]**

Explain Temporary Injunction and discuss when an injunction cannot be granted.

प्रश्न संख्या 17

अस्थाई व्यादेश को स्पष्ट कीजिए एवं कब व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता है, की व्याख्या कीजिए।

Question No. 18 [06 Marks]

"Men may lie but documents will not" critically examine this statement in the light of the provisions excluding oral evidence by documentary evidence under the Indian Evidence Act, 1872.

प्रश्न संख्या 18

"आदमी झूठ बोल सकते हैं लेकिन दस्तावेज नहीं" इस कथन का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य के दस्तावेजी साक्ष्य से अपवर्जन के प्रावधानों के प्रकाश में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Question No. 19 **[06 Marks]**

Difference between **any three** of the following –

a) Primary Evidence and Secondary Evidence

b) Mesne profit and Restitution

c) Bailment and Pledge

d) Res-judicata and estoppel

e) Counter claim and set off

प्रश्न संख्या 19

निम्नलिखित में से **किन्हीं तीन** में विभेद कीजिए–

अ) प्राथमिक साक्ष्य और द्वितियक साक्ष्य

ब) मध्यवर्ती लाभ और प्रत्यास्थापना

स) उपनिधान और गिरवी

द) प्राङ्न्याय और विबन्धन

स) प्रतिदावा और मुजरा

a) Primary Evidence and Secondary Evidence

अ) प्राथमिक साक्ष्य और द्वितियक साक्ष्य

b) Mesne profit and Restitution

ब) मध्यवर्ती लाभ और प्रत्यास्थापना

c) Bailment and Pledge

स) उपनिधान और गिरवी

d) Res-judicata and estoppel

द) प्राङ्न्याय और विबन्धन

e) Counter claim and set off

स) प्रतिदावा और मुजरा

Question No. 20 **[10 Marks]**

On 15.04.2016, 'A' sold goods for price to 'B'. When demanded money, 'B' sent an e-mail on 20.05.2019 and assured that he would make payment within 02 months. When 'B' did not pay the amount even after 02 months, 'A' filed a suit for recovery of money. 'B' filed a written statement and while disputing the liability also raised a plea that the suit was barred by limitation. Before issues were framed, 'B' moved an application and requested the court to frame a preliminary issue regarding limitation and decide the same before proceeding further. The plaintiff filed a reply to such application and contended that the question of limitation is a mixed question of fact and law and thus such issue cannot be decided as a preliminary issue.

Write an order deciding the application and issue (if required).

प्रश्न संख्या 20

15.04.2016 को, 'अ' धन के लिए माल 'ब' को बेचता है। धन की मांग की जाने पर, 'ब' 20.05.2019 को एक ई–मेल भेजता है और विश्वास दिलाता है कि वह दो माह के भीतर भुगतान कर देगा। जब 'ब' दो माह के पश्चात भी राशि का भुगतान नहीं करता है, 'अ' धन की वसूली हेतु वाद प्रस्तुत करता है। 'ब' लिखित कथन प्रस्तुत करता है और दायित्व को विवादित करते हुए यह तर्क भी उठाता है कि वाद परिसीमा से बाधित है। विवाद्यकों के विरचित करने से पूर्व 'ब' एक आवेदन प्रस्तुत करता है और

न्यायालय से परिसीमा से सम्बन्धित प्रारम्भिक विवाद्यक विरचित करने की तथा आगे कार्यवाही करने से पूर्व उसे तय करने की प्रार्थना करता है। वादी ऐसे प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करता है और विरोध करता है कि परिसीमा का प्रश्न विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है और इस प्रकार ऐसा विवाद्यक प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में तय नहीं किया जा सकता।

प्रार्थना पत्र और विवाद्यक (यदि आवश्यक हो तो) का निस्तारण करते हुए आदेश लिखिए।

Question No. 21 **[10 Marks]**

Landlord 'A' files a petition in the rent tribunal for eviction of 'B', his tenant to whom a shop had been let out on oral tenancy. The petition was filed alleging that 'B' has not paid rent of last 06 months and that the shop in question is required for his son who intends to open a garment showroom. The tenant 'B' files his reply and pleads that he has carried out repairs in the premises with a mutual understanding with the landlord that the cost of repairs be adjusted from the monthly rentals and thus the rent as claimed is not due. A plea was also taken that the landlord has another shop in a nearby area and subject shop is not fit for a garment showroom. Both 'A' and 'B' filed affidavits in evidence. Whereafter, the tenant 'B' moved following 02 applications under section 21 of The Rajasthan Rent Control Act, 2001-

1. Issues be framed or points for determination be framed.
2. He be permitted to cross examine 'A' and the persons who have filed affidavits relied on by 'A'.

'A', the landlord opposed the application.

Write an order deciding the applications with support of decided case law.

प्रश्न संख्या 21

भूस्वामी 'अ' किराया प्राधिकरण में एक याचिका 'ब', उसके किरायेदार की बेदखली, जिसको एक दुकान मौखिक किरायेदारी पर किराये पर दी गई थी, हेतु प्रस्तुत करता है। याचिका यह कहते हुए प्रस्तुत की गई थी कि 'ब' ने पिछले छः माह का किराया अदा नहीं किया है और प्रश्नगत दुकान उसे उसके पुत्र के लिए चाहिए, जो परिधान का शोरूम खोलना चाहता है। किराएदार भी उसका जवाब प्रस्तुत करता है और यह अभिवचन करता है कि उसने परिसर में भूस्वामी की इस परस्पर समझ से मरम्मत का कार्य कराया था कि मरम्मत के खर्चों का समायोजन मासिक किराया राशि से होगा और इस प्रकार मांग की गई किराये की राशि देय नहीं है। यह तर्क भी लिया गया कि भूस्वामी के पास आस–पास के क्षेत्र में अन्य दुकान है और प्रश्नगत दुकान परिधान के शोरूम हेतु उपयुक्त नहीं है। दोनों 'अ' व 'ब' ने साक्ष्य में शपथपत्र प्रस्तुत किए। उसके बाद, राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम, 2001 की धारा 21 के अंतर्गत निम्नलिखत दो प्रार्थना पत्र किराएदार 'ब' ने प्रस्तुत किए–

1. विवाद्यक विरचित किए जाएं या अवधारणीय बिन्दु बनाए जाएं।
2. उसे 'अ' एवं उन व्यक्तियों से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी जाए जिन्होंने 'अ' के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किए।

भूस्वामी 'अ' ने प्रार्थनापत्रों का विरोध किया।

निर्णित विधि के समर्थन से प्रार्थनापत्रों को निरतारित करते हुए आदेश लिखिए।